न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2022/355
मिसल नम्बर–79/2022

1. मूर्ति मंदिर महाप्रभु जी बड़ा मंदिर ट्रस्ट पाटनपोल, जर्ये अध्यक्ष–विनय गोस्वामी पुत्र श्री गोपाललाल जाति गोस्वामी निवासी महाप्रभू जी, बड़ा मंदिर, पाटनपोल कोटा राज0

बनाम

1. शदर गोस्वामी पुत्र श्री गोपालाल जाति ब्राह्मण।
2. श्रीमती कमल प्रभाजी पत्नी स्व0 गोपालाल जी आयु 80 साल।
3. श्रीमती भावना गोस्वामी धर्मपत्नी श्री बसंत जी पुत्री स्व0 गोपालाल जी।
4. श्रीमती कल्पना गोस्वामी पत्नी श्री योगेश रेही पुत्र स्व0 गोपालाल जी।
5. श्रीमती अर्चना गोस्वामी पत्नी श्री मथुरेश रेही जाति ब्राह्मण आयु 45 वर्ष।
6. श्रीमती शषि प्रभा बहूजी पत्नी श्री गोविन्दलाल जी जाति ब्राह्मण।
7. ब्रजेश गोस्वामी पुत्र श्री गोविन्दलाल जी जाति ब्राह्मण।
8. राजेष गोस्वामी पुत्र श्री गोविन्दलाल जाति ब्राह्मण।
9. बल्लभ गोस्वामी पुत्र श्री गोविन्दलाल जी जाति ब्राह्मण।
10. विजय गोस्वामी पुत्र श्री गोविन्दलाल जी जाति ब्राह्मण।
11. किषोरकुमार पुत्र श्री स्व0 मुरलीधर जाति ब्राह्मण।
12. प्रतिभा गोस्वामी पुत्री श्री स्व0 मुरलीधर जी जाति ब्राह्मण।
13. श्यामलता पुत्री श्री पुरूषोतमलाल जी जाति ब्राह्मण।
14. त्रिलोकी भूषण पुत्र श्री विक्रमलाल जी जाति ब्राह्मण।
15. कुसुमलता पुत्री श्री विक्रमलाल जी जाति ब्राह्मण।
16. वंदन पुत्री श्री विक्रमलाल जी जाति ब्राह्मण।
17. तृप्ति पुत्री श्री विक्रमलाल जी जाति ब्राह्मण।
18. सरिता पुत्री श्री विक्रमलाल जी जाति ब्राह्मण।
19. वीणा रेही पुत्री श्री विक्रमलाल जी जाति ब्राह्मण।
20. गोपीरमण भट्ट पुत्री श्री स्व0 गिरीषजी भट्ट जाति ब्राह्मण।
21. जितेष भट्ट पुत्र स्व0 श्री गिरीष भट्ट, जाति ब्राह्मण।
22. समस्त निवासीगण महाप्रभू जी बड़ा मंदिर पाटनपोल, कोटा राज0 राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा राज0।

–:निर्णय:–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89 के तहत् प्रार्थना पत्र।)

दिनांक 28/4/25

उपस्थित–

1.श्री रमाकांत लोहिया, अभिभाषक वादी

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89 के तहत् वाद–पत्र वादी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। वाद–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि –

- ग्राम किशोरपुरा कोटा में आराजी खसरा नं0 71 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 72 की रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 73 रकबा 0.06 है, खसरा नं0 74 रकबा 0,01 है0 एवं खसरा नं0 75 रकबा 0.09 है0 कुल रकबा 0.22 है0 स्थित है, जो कि वादी के स्वामित्व की है।
- उपरोक्त अराजीयात मूर्ति मंदिर महाप्रभू जी बड़ा मंदिर पाटनपोल की संपत्ति है। दिनांक 28.9.1962 को श्री पुरूषोतम लालजी ने महाप्रभू मंदिर का सार्वजनिक प्रन्यास बनाने के लिए देवस्थान आयोग उदयपुर, खण्ड कोटा को एक प्रार्थना पत्र पेष किया गया था, जिसमें उक्त अराजीयात को ट्रस्ट की संपत्ति घोषित किया था। उक्त आराजी को षिवबाड़ी के नाम से जाना जाता है।
- सार्वजनिक प्रन्यास मूर्ति महाप्रभू जी पाटनपोल की संपत्ति होने के बावजूद उक्त संपत्ति पुरूषोतम लाल जी की खातेदारी में चली आ रही थी। और किसी कारणवष उक्त आराजीयात को राजस्व रिकॉर्ड में मंदिर महाप्रभू जी ट्रस्ट का नाम दर्ज नहीं हो पाया, परन्तु स्व0 पुरूषोतम लाल जी उक्त आराजीयात की संपूर्ण आय को मंदिर कार्यों में खर्च करते थे।
- पुरूषोतम लाल जी की मृत्यु सन् 1980 में हो चुकी है, उनकी मृत्यु उपरांत उक्त आराजीयात में उनका फोती इंतकाल नंबर–23 दिनांक 13.04.2005 को खोला गया था एवं उनके स्थान पर स्व0 गोपालाल जी, स्नेहलती एवं प्रतिवादी क्रम–6 लगायत 18 के नाम उनके वारिसान होने के नाते इंतकाल खोला गया था। राजस्व रिकॉर्ड में भी गोपालाल जी, स्नेहलता एवं प्रतिवादी क्रम–6 लगायत 18 का नाम दर्ज है।
- वादग्रस्त आराजी कभी भी स्व0 पुरूषोतम लाल जी की नहीं रही है। उक्त अराजीयात मूर्ति मंदिर बड़े– महाप्रभू जी ट्रस्ट पाटनपोल की संपत्ति है, परन्तु अध्यक्ष होने के नाते–पुरूषोतमलाल जी के नाम दर्ज हो गयी थी बाद में ट्रस्ट बनाया गया तब उक्त संपत्ति को शामिल कर लिया गया, इसलिये उक्त अराजीयात गोपालाल जी तथा प्रतिवादी क्रम–6 लगायत–18 एवं स्नेहलता के पक्ष में खोला गया था, इंतकाल नं0 23 दिनांक 13.04.2005 अवैध एवं निरस्तनीय है।
- इन परिस्थितियों में वादी उक्त आराजीयात का खातेदार कृषक घोषित करवाये जाने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

- मूर्ति मंदिर महाप्रभी जी ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष गोपाललाल जी की मृत्यु हो चुकी है, उनके स्थान पर ट्रस्ट की भावना के अनुसार विजय कुमार गोस्वामी को अध्यक्ष बनाया गया, इसलिये उनके जरिये यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।
- वादी की संपत्ति के राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी होते ही प्रतिवादीगण से उक्त अराजीयात को वादी की खातेदारी में दर्ज करवाने के लिए कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया, प्रतिवादीगण येनकेन प्रकारेण उक्त अराजीयात को अपनी खातेदारी में रखना चाहते है, इसलिये वादी माननीय न्यायालय की सहायता से उक्त अराजीयात को अपनी खातेदारी में दर्ज करवाना चाहता है।
- गोपाललाल जी का देहावसान हो चुका है, प्रतिवादी क्रम–1 लगायत –: उनके वारिसान है, इसी प्रकार से स्नेहलता जी का– देहावसान हो चुका है तथा प्रतिवादी क्रम–19 20 उनके वारिसान है, जिन्हें प्रतिवादीगण बनाया गया है।

प्रार्थना :–

वादी द्वारा वाद पेश कर निवेदन किया गया है कि वादी को वादग्रस्त आराजीयात खसरा नं0–71 रकबा 0.01 है0 ख0 नं0 72 रकबा 0.05 है0 खसरा नं0 73 रकबा 0.06 है, ख0 74 रकबा 0.01 है0, ख0 नं0 75 रकबा 0.09 है0 कुल आराजी 0.22 है0 वाके किषोरपुरा कोटा का खातेदार कृषक घोषित किया जावे एवं इस आषय की डिक्री पारित की जावें तथा तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे, अन्य कोई न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वह भी वादी के पक्ष में प्रदान की जावें।

वाद पत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया, प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही हुए इस कारण प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वादी श्री विनय गोस्वामी के बयान दर्ज किये गये जो प्रदर्ष पीडब्यू 01 है। श्री विनय गोस्वामी द्वारा कथन किया गया है कि –

''मेरे द्वारा दिनांक 03.07.23 को शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके प्रत्येक पैरा पर मेरे हस्ताक्षर है। शपथ पत्र के समस्त तथ्य सही है। मैने वाद के साथ दस्तावेजात प्रदर्ष 1 जमाबंदी बन्दोबस्त संवत् 2038–57। प्रदर्ष–2 जमाबंदी संवत् 2070–23। प्रदर्ष–3 जमाबंदी सेटलमेंट 2015–24। प्रदर्ष–4 मिलान क्षेत्रफल बन्दोबस्त 2038–57। प्रदर्ष–5 नामान्तरण नं0 23 दिनांक 13.04.2005 । प्रदर्ष–6 प्रपत्र संख्या 6 सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा संबंधित बड़े महाप्रभू जी मंदिर। प्रदर्ष–7 मिटिंग कार्यवाही दिनांक 17.10.2020 ट्रस्ट महाप्रभू जी मंदिर कोटा। जिसकी प्रति पत्रावली है 7ए है।''

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

वादी द्वारा गवाह श्री नवनीत माहेष्वरी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जो प्रदर्ष पीडब्लू 02 है। श्री नवनीत माहेष्वरी द्वारा कथन किया गया है कि –

- मैं मूर्ति मंदिर महाप्रभू जी बड़ा मंदिर ट्रस्ट, पाटनपोल, कोटा का ट्रस्टी हूं और मुझे ट्रस्ट के संबंध में पूर्णतया जानकारी है। उक्त मंदिर का ट्रस्ट देवस्थान विभाग में पंजीकृत है, जिसका रजिस्ट्रेषन नं0–40 दिनांक 25.02. 1964 है, जिसकी सत्यप्रतिलिपि माननीय न्यायालय के समक्ष पेष की हुयी है।
- ग्राम किशोरपुरा कोटा में आराजी खसरा नं0–71 रकबा 0.01 है0 ख0 नं0 72 रकबा 0.05 है0 खसरा नं0 73 रकबा 0.06 है, ख0 74 रकबा 0.01 है0, ख0 नं0 75 रकबा 0.09 है0 कुल आराजी 0.22 है0 आराजी स्थित है, जो कि मूर्ति मंदिर महाप्रभू जी बड़ा मंदिर की संपत्ति है। पुरूषोतमलाल जी ने उक्त संपत्ति को ट्रस्ट की संपत्ति में शामिल किया था, जिसे मंदिर ट्रस्ट के खाते में दर्ज़ किया जाना चाहिए था।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गई :–

1. आया कि गोस्वामी पुरूषोत्तम लाल द्वारा महाप्रभु जी मंदिर ट्रस्ट का गठन किया गया था तथा ट्रस्ट की संपत्तियों का वर्णन ट्रस्ट डीड में किया गया था।
2. आया कि वादी प्रष्नगत आराजी ट्रस्ट की संपत्ति होने से मंदिर महाप्रभु के नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।
3. आया कि संपत्ति गोस्वामी पुरूषोत्तम लाल की निजी संपत्ति है तथा हस्तगत संपत्ति गोस्वामी पुरूषोत्तम लाल के वारिसान के नाम सही दर्ज की गई है।
4. सहायता

प्रकरण में बहस विद्वान अभिभाषक वादी एक पक्षीय सुनी गयी।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया। बहस विद्वान अभिभाषक वादी पर गंभीरतापूर्वक मनन किया। दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस उपरान्त तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

तनकी नम्बर 01 – आया कि गोस्वामी पुरूषोत्तम लाल द्वारा महाप्रभु जी मंदिर ट्रस्ट का गठन किया गया था तथा ट्रस्ट की संपत्तियों का वर्णन ट्रस्ट डीड में किया गया था।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है, वादीगण द्वारा इस हेतु श्री महाप्रभु जी का बडा मंदिर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेषन प्रमाण पत्र जो प्रदर्ष पी 08 है। पंजीकृत ट्रस्ट का आवेदन तथा उद्देष्य व नियमों की प्रति जो प्रदर्ष पी 06 है तथा ट्रस्ट की बैठक

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

दिनांक 17.10.2020 की मिनिट्स जो प्रदर्ष 07ए है, प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से प्रमाणित है। कि श्री महाप्रभु जी का बडा मंदिर ट्रस्ट का पंजीयन सहायक देवस्थान आयुक्त उदयपुर द्वारा 25.02.1964 को किया गया है। उक्त ट्रस्ट के अध्यक्ष गोस्वामी पुरूषोत्तम लाल जी थे, ट्रस्ट के बिन्दु संख्या 06 में ट्रस्ट की अचल संपत्ति का विवरण दिया गया है जिसके बिन्दु संख्या 04 में अंकित है कि "षिवबाडी किषोरपुरा में है जिसमें मंदिर श्री षिव जी की मूर्ति विराजमान है।" संलग्न दस्तावेजों से यह भी प्रमाणित होता है कि ट्रस्ट रजिस्ट्रेषन के समय गोस्वामी पुरूषोत्तम लाल जी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि परिषिष्ट में अंकित संपत्तियां ट्रस्ट की संपत्तियां है। देवस्थान विभाग द्वारा जारी रजिस्ट्रेषन प्रमाण पत्र से यह भी प्रमाणित होता है कि ट्रस्ट के अध्यक्ष गोस्वामी पुरूषोत्तम लाल जी थे तथा रजिस्ट्रेषन प्रमाण पत्र गोस्वामी पुरूषोत्तम लाल जी को ही जारी किया गया था।

उक्त विवेचन से यह प्रमाणित हो जाता है कि गोस्वामी पुरूषोत्तम लाल द्वारा ट्रस्ट का गठन किया गया था तथा पंजीकृत ट्रस्ट के नियमों में ट्रस्ट की संपत्तियों का उल्लेख किया गया हैं । अतः तनकी नम्बर 01 बहक वादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर 2 :– आया कि वादी प्रष्नगत आराजी ट्रस्ट की संपत्ति होने से मंदिर महाप्रभु के नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार भी वादीगण पर है। तनकी नम्बर 01 के विवेचन से यह स्पष्ट है कि गोस्वामी पुरूषोत्तम लाल जी द्वारा मंदिर महाप्रभु जी की संपत्तियों के संरक्षण के लिए ट्रस्ट की स्थापना की गई तथा ट्रस्ट की संपत्तियों का वर्णन ट्रस्ट डीड में किया गया। उक्त विवेचन से यह भी प्रमाणित है कि वादग्रस्त आराजी षिवबाडी को गोस्वामी पुरूषोत्तम लाल जी द्वारा ट्रस्ट की संपत्ति स्वीकार किया गया था। अतः तनकी नम्बर 02 बहस वादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर 03 :–आया कि संपत्ति गोस्वामी पुरूषोत्तम लाल की निजी संपत्ति है तथा हस्तगत संपत्ति गोस्वामी पुरूषोत्तम लाल के वारिसान के नाम सही दर्ज की गई है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। लेकिन बावजूद सूचना प्रतिवादीगण उपस्थित नही होने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी है। संलग्न दस्तावेजों से व तनकी नम्बर 01 व 02 के विवेचन से यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त आराजी को गोस्वामी पुरूषोत्तम लाल जी द्वारा ट्रस्ट की संपत्ति स्वीकार किया गया था जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त संपत्ति ट्रस्ट के नाम दर्ज हो जानी चाहिए थी लेकिन तत्समय वादग्रस्त आराजी को ट्रस्ट के नाम दर्ज ना करने के कारण वादग्रस्त आराजी गोस्वामी पुरूषोत्तम लाल जी के नाम दर्ज रही, जबकि पंजीयन के समय प्रस्तुत दस्तावेजों में गोस्वामी पुरूषोत्तम लाल जी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

वादग्रस्त आराजी मंदिर महाप्रभु जी की संपत्ति है। उक्त विवेचन से प्रमाणित है कि वादग्रस्त आराजी को गोस्वामी पुरूषोत्तम लाल जी द्वारा ट्रस्ट की संपत्ति स्वीकार करने के कारण वादग्रस्त आराजी गोस्वामी पुरूषोत्तम लाल जी की निजी संपत्ति नही रही तथा गोस्वामी पुरूषोत्तम लाल जी की मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसान के नाम गलत रूप से दर्ज की गई। उक्त विवेचन के आधार पर तनकी नम्बर 03 विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर 04 :– सहायता

तनकी नम्बर 01 व 02 वादीगण के पक्ष में तय की गई है। तथा तनकी नम्बर 03 प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की गई है। जिससे स्पष्ट है कि वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश :–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 71 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 72 रकबा 0.05, खसरा नम्बर 73 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 74 रकबा 0.01 है0, व खसरा नम्बर 75 रकबा 0.09 है0 कुल रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम किशोरपुरा का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि उक्त आराजी मूर्ति मंदिर महाप्रभुजी बडा मंदिर ट्रस्ट पाटनपोल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावें।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हों।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा